कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर — 492002 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — मू—प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-780/2360

नया रायपुर, दिनांक 0 6/10/2023

प्रति.

र्प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :--

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Diversion of Forest land for widening of Existing Road From Bakaruma – Lailunga Road area 3.843 ha. – regarding.

- पंजीयन कमांक — FP/CG/Road/ 36751/ 2018

संदर्भः- 1.

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्र./FC-I/IROCH-14/2022/1279 दिनांक 27.02.2023
- 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक / 1524 दिनांक 02.06.2023 एवं पत्र क्रमांक 2708 दिनांक 03.10.2023

—0–

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र — 1 द्वारा धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत लैलूंगा से बाकारूमा मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण का कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत कुल क्षेत्र 3.843 हे.वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर को प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर

वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र—2 के माध्यम से प्रेषित किया है। बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानसार है:—

S.No.	Condition	Compliant
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged; Compensatory Afforestation:	Compliance शर्त आवेदक को मान्य है एवं तदाशय का Undertaking संलग्न है। Annexure-1
(a)	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7.770 ha Orange Area degraded forest land at Khasra No. 136/1 k, 155/1, 177/1 k, and 186/1 in in Bakaruma range, District Raigarh at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	शर्त अनुसार CA हेतु रू. 67,66,660.00 का भुगतान RTGS-SBIN423082441070 दिनांक 23.03. 2023 एवं सी.ए. अंतर की राशि रू. 676668 का भुगतान RTGS-SBIN52023042846228724 दिनांक 27.04.2023 को CAMPA मद में किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है। Annexure-2

	1 0 0 1 1 1 1 1	
(b)	The proposed non-forest CA land shall be transferred and mutated in favour of the State	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वन खण्ड
	Forest Department before Stage-II clearance.	बांधाडोंगरी खसरा कमांक 136/I K, 155/1, 177/1
1		k, 186/1 का अधिसूचना प्रस्ताव संलग्न है।
		Annexure-3
		,
(iii)	The cost of Compensatory Afforestation at	सर्वे एवं सीमांकन की राशि का गणना कर आवेदक
	the prevailing wage rates as per	संस्थान द्वारा मुनारा निर्माण हेतु राशि रू.
	compensatory afforestation scheme and the	_
	cost of survey, demarcation and erection of	240000/—, सर्वे सीमांकन कार्य हेतु राशि रू.
	permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest	22908/—, सफाई कार्य अनुमानित राशि रू.
	Department by the project authority. The CA	50000/— वन मंडलाधिकारी के पी.डी खाते में
	will be maintained for 10 years. The scheme	दिनांक 20.07.2023 को जमा किया गया है। चालान
	may include appropriate provision for	की प्रति संलग्न है Annexure-3 A
	anticipated cost escalation for works scheduled for subsequent years;	47 SIG GOVE 6 Annexure-5 A
(iv)	NPV:	
(a)	The State Government shall charge the Net	THE STREET NEW AT STREET THE TANK
(4)	Present Value (NPV) for the 9.304 ha forest	मांग अनुसार NPV हेतुं आवेदक संस्थान से राशि
	area to be diverted under this proposal from	रू. 47,21,472.00 दिनांक 23.03.2023 को
	the User Agency as per the orders of the	CAMPA मद में भुगतान किया गया है। चालान की
	Hon'ble Supreme Court of India dated	प्रति संलग्न है। Annexure-4
	30/10/2002. 01/08/2003, 28/03/2008. 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in	
	WP (C) No. 202/1995 and as per the	
	guidelines issued by the Ministry vide letters	
	No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003,	
	letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006,	
	letter No. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011- FC(Vol-1) dated	
	06.01.2022 in this regard;	
(b)	Additional amount of the NPV of the	परिवर्तित वन भूमि की NPV की राशि अतिरिक्त देय
	diverted forest land, if any, becoming due	होने पर जमा किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र
	after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the	संलग्न है।
	report from the Expert Committee, shall be	·
	charged by the State Government from the	Annexure-5
	User Agency. The User Agency shall furnish	
(22)	an undertaking to this effect;	
(v)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/	कैम्पा मद में जमा होने वाली समस्त राशि का
	deposited to CAMPA fund only through e-	भुगतान CAMPA FUND में e-portal के माध्यम
	portal (https://parivesh.nic.in/);	से आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया गया है।
		Annexure-6

(vi)	The State Government of Chhattisgarh/	TDA = airt
	Nodal Officer (FCA), Forest Department of	
	Chhattisgarh shall ensure settlement of rights	संलग्न है Annexure-7
	under the Scheduled Tribes and Other	
	Traditional Forest Dwellers (Recognition of	
	Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007)	
	before issuing an order for handing over of	
	forest land to the User Agency as per Rule-9	
	(6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022:	
(vii)	The total project affected trees are 334;	
(,11)	comprises of 20 trees above 90 cm girth and	शर्त के पालन में वृक्ष विदोहन/परिवहन हेतु आवेदक
	the remaining 314 trees below 90 cm girth	संस्थान द्वारा राशि रू. 179040/- वन
	class. Any tree felling shall be done only	मंडलाधिकारी के पी.डी खाते में दिनांक 20.07.2023
	when it is unavoidable and that too under	को जमा किया गया है। चालान की प्रति
	strict supervision of the State Forest	
i	Department and the cost is a of felling of	Annexure-3 A में संलग्न है। Annexure-8
	trees shall be deposited by the User Agency	
(viii)	with the State Forest Department:	2011
(*111)	Width of the right of way (ROW) for the proposed road shall be limited to 14m.	ROW की चौड़ाई 14.00 मी. सीमित रहेगी। आवेदक
(ix)		संस्थान का वचन पत्र संलग्न है Annexure-9
(IA)	The boundary of the diverted forest land,	Diverted Forest Land का सीमांकन कर 4.00
	shall be demarcated on ground at the project cost. by erecting four feet high reinforced	Feet के कांकीट पिलर से घेराबंदी किया जावेगा।
	cement concrete pillars, each inscribed with	इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र
	its serial number. forward and back bearing and distance from pillar to pillar:	संलग्न है। Annexure-10
(x)	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas:	वनक्षेत्र में मार्ग पर निर्दिष्ट स्थल पर "गति नियंत्र्ण"
		सूचक बोर्ड (Speed Regulating Signage) लगाया
	Trottettu Areas/ Polest Areas.	जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
		Annexure-11
(xi)	User Agency shall obtain Environmental	इस परियोजना में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु पर्यावरण
	Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। भारत का राजपत्र
		असाधारण भाग—II खण्ड 3, उपखण्ड (II) संख्या
	·	1067 नई दिल्ली सितम्बर 14, 2006 के बिन्दु 7 (f) में
		उल्लेखित विवरण के अंतर्गत नहीं है। गाईड लाईन
(27;1)	The State Town I	संलग्न है। Annexure-12
(xii)	that the proposed structures provide safe passage for the smooth movement of wildlife	वन विभाग के निर्देशानुसार मार्ग वन्य प्राणियों एवं
		मवेशियों के आसान एवं सुरक्षित आवागमन के
	and cattle as suggested by the Wildlife	अनुकुल बनाया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
	Institute of India in manual entitled "Eco-	KML File Alignment esa Culverts, Box
	friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife, published	culverts, Slab Culverts & Hume Pipe
	in 2016 and as desired that KML file of the	Culverts को Highlighting कर KML संलग्न है।
		Annexure-13
	all structures (Culverts, Box culverts, and	
	Slab Culverts etc.) should be submitted to the	
	IRO, Raipur along with the Stage-I	
	compliance report;	

(xiii)	The State Forest Department shall ensure	मार्ग पर वन्य प्राणियों के पारपथ (Crossing) स्थलों
	that installing necessary information boards	पर आवश्यक सूचना बोर्ड लगाया जावेगा। आवेदक
T	at the said crossing point at the cost of the User agency.	संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-14
(xiv)		
(XIV)	Roadside plantations on both sides of the road as per the IRC norms shall be raised by the State Forest Department from the funds provided by the User Agency. The State	मार्ग पर पथ वृक्षारोपण आवेदक संस्थान द्वारा किया
		जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
		Annexure-15
	forest department shall prepare the plantation proposal giving preference to the native	
	forest tree species including fruit-bearing	·
	tree species, and shall submit to the IRO, Raipur;	
(xv)	No labour camp shall be established on the	वनक्षेत्र में कोई मजदूरों का आवास (Labour
-	forest land;	Camp) स्थापित नहीं किया जावेगा। आवेदक
		संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
		Annexure-16
(xvi)	The User Agency shall provide fuels	कार्य स्थल पर मजदूरों द्वारा किसी भी प्रकार से
	preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid	जंगल की लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में नही
	any damage and pressure on the nearby	किया जावेगा एवं वनक्षेत्र में कोई क्षति नहीं पहुंचायी
	forest areas;	जावेगी। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
		Annexure-17
(xvii)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	वनक्षेत्र का परियोजना में निर्दिष्ट (Specified)
		क्रियाकलाप के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपयोग नही
		किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र
		संलग्न है। Annexure-18
(xviii)	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	Lay out plan में कोई भी परिवर्तन नहीं किया
		जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
		Annexure-19
(xix)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for	निर्माणाधीन सड़क के अतिरिक्त अन्य कोई भी सड़क
	transportation of construction materials for execution of the project work;	वनक्षेत्र में निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु नहीं
		बनाया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र
		संलग्न हैं।
\\\\\\\	The period of division in the state of the s	Annexure-20
(xx)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease	वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार आवेदक संस्थान
	to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	कार्य करने हेतु बाध्य है। आवेदक संस्थान का वचन
		पत्र संलग्न है।
(xxi)	The forest land proposed to be divisited shall	Annexure-21 आवेदक संस्थान वन संरक्षण अधिनियम
(XXI)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	,
		(Government of india ministry of
		Environment, Forest & Climate Change) के
		शर्त एवं नियमें का पालन करेगी। आवेदक संस्थान
	·.	का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-22

(xxii)	Violation of any of these conditions will	कोई भी प्रकार का तोड़-फोड़ वनक्षेत्र में नहीं किया
7.	amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would	जावेगा/वन संरक्षण अधिनियम (Government of
- "	be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	india ministry of Environment, Forest & Climate Change) का पालन किया जावेगा।
		आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
		Annexure-23
(xxiii)	Any other condition that the Ministry of	आवेदक संस्थान समय—समय पर Ministry of
	Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the	Environment, Forest & Climate Change से
	interest of conservation, protection and	प्राप्त वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निर्देशों का पालन
	development of forests & wildlife;	करेगी। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
		Annexure-24
(xxiv)	The compliance report shall be uploaded on	आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण पालन प्रतिवेदन
	e-portal (https://parivesh.nic.in/).	e.portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड
		किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:-

उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

1

अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /वं. स. अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-780 / 🛂 🎖 🎸 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 🔿 🖒 / 10 / 2023

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खड़े 334 वृक्षों के विदोहन हेतु प्रस्ताव में संलग्न वृक्ष विदोहन योजना अनुसार अनुशंसा की जाती है।
- मुख्य वन सरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 27.02.2023 की सहपित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमित जारी की जाती है।
- वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमित प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी के
 पी.डी खाते में वृक्षों के विदोहन हेतु जमा राशि के आहरण की अनुमित पृथक से भू—प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
- 3. वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़ छत्तीसगढ़।
- 4. **परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)** छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम, संभाग बिलासपुर जिला बिलासपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /वं. स. अ) क्रूछुत्तीसगढ़